मद संख्याः 02

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की 126 वीं बोर्ड बैठक दिनॉक 19.9..2011 की अनुपालन आख्या

मद सं0	विषय	निर्णय	अनुपालन आख्या
1–	गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठक दिनॉक 12.07.2011 के कार्यवृत्त की पुष्टि।	बोर्ड द्वारा दिनॉक 12.07.2011 के कार्यवृत्त की पुष्टि सर्व सम्मति से की गई ।	कार्यवाही वांछित नहीं है ।
2–	गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठक दिनॉक 12.07.2011 के कार्यवृत्त पर अनुपालन आख्या।	बोर्ड द्वारा दिनॉक 12.07.2011 के कार्यवृत्त की अनुपालन आख्या अवलोकित की गई तथा निम्नानुसार निर्देश दिये गये :– 1–मा0 श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना में पूर्व में आवंटित भवनों के आवंटन में अनियमितता की शिकायत की जॉच जिलाधिकारी, गाजियाबाद के माध्यम से एक माह में पूरी करा ली जाये । 2– गाजियाबाद विकास क्षेत्र में निर्मित इन्जीनियरिंग/डेन्टल कालेज जो महायोजना में निर्धारित भू–उपयोग के विपरीत बने हैं, के अवशेष प्रकरणों के सम्बन्ध में शीर्ष प्राथमिकता पर आवश्यक कार्यवाही करते हुए प्रस्ताव शासन को प्रेषित किये जायें। 3– मद सं0 11 के सम्बन्ध में निर्देशित किया गया है कि मै0 उप्पल चढडा हाईटेक डवलपर्स प्रा0 लि0 द्वारा विकसित की जा रही टाउनशिप में आवासीय उपयोग की भूमि में से विकासकर्ता द्वारा न्यूनतम 60 प्रतिशत क्रय की गयी भूमि की पुष्टि कराते हुए नियमानुसार अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। 4– चीफ कोआर्डीनेटर प्लानर, एन0सी0आर0 ने अवगत कराया गया कि उनके द्वारा एन0सी0आर0 प्लानिंग बोर्ड से समन्वय स्थापित करते हुए ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेस–वे के सम्बन्ध में आवश्यक सूचनायें प्राप्त कर प्राधिकरण को उपलब्ध करा दी गयी हैं। निर्देशित किया गया कि उक्त का अध्ययन करते हुए प्राधिकरण द्वारा क्षेत्रीय आवश्यकताओं के दृष्टिगत यथा आवश्यक कार्यवाही की जाये । 5– ट्रैफिक प्लान में प्रस्तावित रिंग रोड़ (हापुड रोड़ से मेरठ रोड़ होते हुए पाईप लाईन तक तथा पाईप लाईन रोड़ की वाईडनिंग सहित) हेतु कार्यवाही समय से करा ली जाये तथा पी0पी0पी0 माडल पर सड़क का विकास करने हेतु भूमि के चयन की भी कार्यवाही कर ली जाये। इस हेतु कन्सैल्टेंट की शीघ्र नियुक्ति करते हुए एक समय सारणी तैयार कर ली जाये ताकि तदानुसार भूमि के संबंध में धारा–4 की अधिसूचना निर्गत की जा सके । 6– गाजियाबाद नगर में जिन–जिन स्थलों पर रेलवे ब्रिज तथा फ्लाईओवरों निर्माण की आवश्यकता हो, ऐसे जंक्शन्स को चिन्हित करा लिया जाये तथा ब्रिज कॉरपोरेशन के सहयोग से ऐसे प्रस्तावों का परीक्षण कराते हुए निर्माण हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाये। 7– गाजियाबाद नगर में विद्युत सब–स्टेशन्स की स्थापना हेतु विद्युत विभाग द्वारा प्राधिकरण में प्रस्ताव उपलब्ध कराये गये है। प्राधिकरण की नियोजित/विकसित की जा रही	कार्यवाही वांछित नहीं है । अवशेष 08 कालेजों में से 02 कालेजों (एस0आर0एम0 यूनिवर्सिटी एवं आर0डी0 फाउन्डेशन इन्जी0 काजेल कादराबाद, मोदीनगर) का लैण्ड यूज नई महायोजना–2021 में स्वतः परिवर्तित हो गये हैं। अन्य 06 कालेजों के सम्बन्ध में प्राप्त प्रस्ताव में पायी गयी आपत्ति/कमियों को दूर करने हेतु सम्बन्धित कालेजों को पूर्व में ही अवगत कराया जा चुका है। आपत्ति निस्तारित होंने पर परीक्षणोपरान्त प्रकरण शासन को सन्दर्भित किया जायेगा । निर्णयानुसार कार्यवाही की गयी। निर्णयानुपालन में कार्यवाही की जा रही है । सम्बन्धित मार्ग की प्री– फिजीबिलटी रिपोर्ट प्राधिकरण स्तर से तैयार कर इसका पावर प्वाइन्ट प्रजेन्टेशन दिनांक 10–12–11 को सचिव आवास एवं शहरी नियोजन, उ0प्र0 शासन के समक्ष किया गया था। तदक्रम में सचिव महोदय द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में यू0पी0स्टेट हाईवे अथारटी से समन्वय कर अग्रेतर कार्यवाही की जा रही है । प्राधिकरण द्वारा प्रथम चरण में निम्न स्थानों को चिन्हित कर कार्यवाही की जा रही हैः– 1– महाराजपुर अण्डरपास 2– ब्रजबिहार अण्डरपास 3– साहिबाबाद स्टेशन के निकट अण्डर पास 4– हिण्डन नदी के निकट अण्डरपास इस सम्बन्ध में अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) गाजियाबाद को पत्रांक 1/4/पी0ए0टी0/2011–12, दिनांक 21–9–11 के माध्यम से अवगत कराया

		कालोनियों में सब–स्टेशन के निर्माण हेतु भूमि प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध करायी जाये किन्तु ऐसे क्षेत्रों में जहां प्राधिकरण के पास भूमि नही है उक्त की सूची नगर निगम को इस आशय से उपलब्ध करा दी जाये कि ऐसे क्षेत्रों में ग्राम समाज की भूमि चिन्हित करते हुए जिलाधिकारी के माध्यम से उपलब्ध कराये जाने हेतु अग्रेतर कार्यवाही की जायें। 8– हिण्डन नदी के आसपास स्थित नगर निगम एवं सिचाई विभाग की भूमि की पैमाईश एक सप्ताह मे करा ली जाये तथा नगरीय वनीकरण हेतु भूमि प्राधिकरण को उपलब्ध करा दी जाये। 9– यह भी निर्देश दिये गये कि नगर निगम, गाजियाबाद सीमा के अन्तर्गत ग्राम सभा की रिक्त भूमि को चिन्हित करते हुए उसकी सूची गाजियाबाद विकास प्राधिकरण को उपलब्ध करा दी जाये और गाजियाबाद विकास प्राधिकरण उसका परीक्षण कर ले कि यदि वह भूमि उनके लिए उपयोगी है तो नियमानुसार प्राधिकरण को हस्तान्तरित किये जाने की कार्यवाही की जाये ।	जा चुका है । बोर्ड निर्णय के अनुपालन में जिलाधिकारी गाजियाबाद को पत्रांक 108/एच0ओ0/11, दिनांक 29–9–2011 के माध्यम से भूमि उपलब्ध कराने हेतु सिंचाई विभाग एवं नगर निगम को संयुक्त बैठक आहूत कर भूमि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया तथा इससे पूर्व दो बार संयुक्त भौतिक निरीक्षण भी किया गया है, परन्तु अभी तक भूमि उपलब्ध नहीं हुई है।
3–	शासनादेश संख्या 1106/9–आ–1–(आ0ब0) बोर्ड बैठक/ 2001 दिनॉक 01–3–2001 के बिन्दु–18 में इंगित बिन्दुओं पर सूचना ।	बोर्ड द्वारा शासनादेश संख्या 1106 /9–आ–1–(आ0ब0) बोर्ड बैठक/ 2001 दिनॉक 01–3–2001 के बिन्दु –18 में इंगित बिन्दुओं पर दी गयी सूचनाओं का अवलोकन किया गया तथा निम्नानुसार निर्देश दिये गये :– 1– यह देखा जा रहा है कि सम्पत्तियों का निस्तारण समुचित रूप से नहीं हो पा रहा है । अतः अनिस्तारित सम्पत्तियों का निस्तारण प्राथमिकता पर किया जाये तथा प्राधिकरण की आय बढायी जाये । 2– कोयल इन्क्लेव योजना के भू–अर्जन /अर्जित भूमि का कब्जा प्राप्त किये जाने के संबंध में जन प्रतिनिधियों व नामित प्राधिकरण बोर्ड के सदस्यों का सहयोग भी लिया जाये । 3– प्राधिकरण क्षेत्र में स्थित पुरानी कालानियों जिनका पुर्नविकास सम्भव है, के रि–डेवलपमेंट हेतु मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ0प्र0 को नीति तैयार करने के निर्देश दिये गये । 4– गालन्द में डम्पिंग ग्राउन्ड हेतु 25 एकड भूमि 15 दिन के अन्दर व 10 एकड भूमि एक माह में नगर निगम को हस्तान्तरित किये जाने के निर्देश दिये गये । 5– हाईटैक/इंटीग्रेटेड टाउनशिप की प्रगति के सम्बन्ध में विस्तृत सूचना निर्धारित प्रारूप पर उपलब्ध करायी जाये। साथ ही साथ महायोजना मार्गों के विकास की प्रगति की भी जानकारी उपलब्ध करायी जाये। साथ ही मानचित्र पर विकासकर्ता द्वारा किये गये आन्तरिक एवं बाह्य विकास को भी दर्शाया जाये । 6– मा0 श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना के फेज–2 के भवनों का आवंटन 15 सितम्बर, 2011 तक किया जाना था । निर्देश दिये गये कि भवनों का निर्माण पूर्ण करते हुए तत्काल आवंटन हेतु जिलाधिकारी, गाजियाबाद को अवगत करा दिया जाये । यह भी संज्ञान में लाया गया कि माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा माह अक्टूबर, 2011 में इन भवनों का निरीक्षण एवं कब्जा दिये जाने का कार्यक्रम प्रस्तावित है ।	विस्तृत प्रस्ताव पुनः मद सं0–3 पर प्रस्तुत किया जा रहा है। अनुपालन किया जा रहा है । अनुपालन हेतु प्रयासरत हैं । मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ0प्र0 के स्तर से कार्यवाही अपेक्षित है । 15 एकड़ भूमि के हस्तान्तरण की कार्यवाही अन्तिम चरण में है तथा अवशेष भूमि की व्यवस्था की जा रही है । हाईटैक/इंटीग्रेटेड टाउनशिप की प्रगति के सम्बन्ध में विस्तृत प्रस्ताव मद सं0 05 पर प्रस्तुत है । दिनांक 19–12–11 तक 1200 भवनों का आवंटन किया जा चुका है । समस्त 1504 भवनों की छत कास्ट की जा चुकी है । फिनीशिंग कार्य प्रगति पर है, जिसको 31–12–11 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है ।

4–	मैट्रो रेल परियोजना के द्वितीय चरण के संबंध में ।	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि मैट्रो रेल परियोजना के द्वितीय चरण हेतु व्यय की जानी वाली धनराशि को वहन करने व प्रतिपूर्ति हेतु मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के स्तर पर उच्च स्तरीय बैठक हेतु प्रस्ताव शासन को सन्दर्भित कर दिया जाये ।	इस सम्बन्ध में दिनांक 29–11–11 को मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में अन्य विभागों तथा प्राधिकरण के साथ सम्पन्न बैठक में हुए विचार विमर्श के क्रम में परियोजना के सम्बन्ध में इक्विटी अंश को यथासम्भव कम करते हुए परियोजना लागत के अवशेष भाग को वित्तीय संस्थाओं से ऋण लेकर व्यवस्थित किये जाने पर विमर्श हेतु दिनांक 22–12–11 को डी0एम0आर0 सी0 के साथ बैठक की गयी है।
5–	गाजियाबाद विस्तारित विकास क्षेत्र महायोजना 2021 (प्रारूप) की स्वीकृति के सम्बन्ध में।	गाजियाबाद विस्तारित विकास क्षेत्र महायोजना 2021 (प्रारूप) का प्रस्तुतीकरण बोर्ड के समक्ष किया गया । विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त निम्न निर्देशों के साथ प्रारूप को अनुमोदन किया गया :– 1– उ0प्र0 शासन द्वारा 09 गॉवों में सम्मिलित हसनपुर को गाजियाबाद विकास क्षेत्र में सम्मिलित किये जाने की अधिसूचना में प्रथमतः यह देख लिया जाये कि यह गॉव उ0प्र0 आवास विकास परिषद द्वारा अधिसूचित क्षेत्र में तो नहीं है। यदि आवास विकास परिषद द्वारा अधिसूचित है तो यह निर्णय शासन स्तर पर लिया जाना है कि किस अभिकरण क्षेत्र में यह गॉव सम्मिलित रहेगा। यदि उक्त ग्राम आवास विकास परिषद के विकास क्षेत्र में सम्मिलित नही है तो आवास विकास परिषद द्वारा इन्टिग्रेटिड टाउनशिप हेतु निर्धारित भू–उपयोग को आधार मानकर ही महायोजना में तदानुसार भू–उपयोग दर्शाया जाये। प्रस्तावित महायोजना में स्थित आबादी के सापेक्ष व्यवसायिक भू–उपयोग नही दर्शाया गया है। अतः मानचित्र में उक्त की व्यवस्था की जाये। उक्त संशोधन के साथ जन समान्य से आपत्ति एवं सुझाव मांगे जाने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई ।	ग्राम हसनपुर लोड़ा के अन्तर्गत एलायन्स प्रमोटर्स प्रा0लि0 एवं मै0 ओपस बिल्डटेक प्रा0लि0 को इन्टीग्रेटेड टाउनशिप योजना के अन्तर्गत उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद द्वारा लाईसेन्स निर्गत किये गये हैं। उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद द्वारा अपने पत्रांक 201/पी0डी0आर0–09/12–1 दिनांक 8–11–11 द्वारा प्रकरण पर नोडल एजेन्सी के निर्धारण के सम्बन्ध में शासन को सन्दर्भ प्रेषित किया गया है । प्राधिकरण द्वारा भी पत्र सं0 212एम0पी0/2011 दिनांक 16–12–11 के द्वारा शासन के निर्णय हेतु अनुरोध किया गया है। वांछित संशोधनोंपरान्त विस्तारित विकास क्षेत्र महा योजना–2021(प्रारूप) पर दिनांक 8–11–11 से 8–12–11 तक आपत्ति/सुझाव आमंत्रित किये गये हैं । प्राप्त आपत्ति/सुझाव पर सुनवाई दिनांक 22–12–11 को की गयी है । गाजियाबाद विस्तारित क्षेत्र महायोजना 2021 पर प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष प्रस्तुतीकरण के साथ प्रस्तुत किया जायेगा । बैठक आयोजित कर आगामी बोर्ड बैठक में विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जायेगा ।
		2– गाजियाबाद विकास क्षेत्र महायोजना 2021 में कई विसंगतियॉ हैं, उन्हें मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ0प्र0, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण व एन0सी0आर0 सैल के सहयोग से ठीक कराने हेतु यथा आवश्यक कार्यवाही की जाये। 3–इस्टर्न पैरिफेरल व अपर गंगा कैनाल एक्प्रेस वे के साथ साथ क्षेत्रीय यातायात के दृष्टिगत सर्विस रोड़ के प्राविधानों के सम्बन्ध में परीक्षण करा लिया जाये। हाईटैक टाउनशिप में यदि उक्त मार्गों के साथ साथ सर्विस रोड़ प्राविधानित है तो यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि उक्त मार्ग निर्माण के बाद जनसामान्य को यातायात हेतु उपलब्ध हो सके। 4– यह भी निर्देश दिये गये कि भविष्य में योजना बनाते	हाईटैक टाउनशिप मे सर्विस रोड का प्रावधान किया गया है। अनुपालन किया जा रहा है।

		समय पर्यावरण विभाग से भी अनापत्ति प्राप्त कर ली जाये।	
6–	उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत कतिपय शासनादेशों को प्राधिकरण में अंगीकार किये जाने के सम्बन्ध में।	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि इंगित चारों शासनादेशों के अनुपालन के साथ–साथ नर्सिंग होम्स, होटल्स व ई0डब्लू0एस0/एल0आई0जी0 श्रेणी के भवनों के संबंध में भी एक्शन प्लान तैयार किया जाये तथा बोर्ड को अवगत कराया जाये ।	ई0डब्लू0एस0/एल0आई0जी भवनों की प्रगति के सम्बन्ध में विस्तृत प्रस्ताव मद सं0 06 पर प्रस्तुत है ।
7–	निजी क्षेत्र में इन्जीनियरिंग कालेज/मेडिकल कालेज/डेन्टल कालेज की स्थापना हेतु मानक सिद्वान्तों के सम्बन्ध में।	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित करते हुए जनसामान्य से आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित करने हेतु निर्देशित किया गया । सड़कों की 18 मी0 चौडाई सुनिश्चित करने हेतु संस्था से कास्ट शेयरिंग के आधार पर धनराशि वसूल करते हुए सड़कों का विकास किया जाये।	बोर्ड निर्णय के अनुपालन में 03 कालेजों (इण्टर नेशनल कालेज आफ इन्जी, ए0सी0एम0ई0 इजी0 कालेज, मोदीनगर इन्स्टीट्यूट आफ टेक्नालाजी) का भू–उपयोग परिवर्तन प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया गया था । जिसमें से 02 में शासन द्वारा आपत्ति भेजी गयी है । आपत्तियों का निराकरण करने हेतु सम्बन्धित कालेजो को अवगत कराया जा रहा है। आपत्तियां दूर होनें पर शासन को अवगत कराया जायेगा। शासन का अनुमोदन अभी तक किसी प्रस्ताव पर प्राप्त नहीं हुआ है। शासन का अनुमोदन प्राप्त होनें पर आपत्ति/सुझाव आमंत्रित किये जायेंगे। अवशेष 08 कालेजों में से 02 कालेजों (एस0आर0एम0 यूनिवर्सिटी एवं आर0डी0 फाउन्डेशन इन्जी0 काजेल कादराबाद, मोदीनगर) का लैण्ड यूज नई महायोजना–2021 में स्वतः परिवर्तित हो गये है। अन्य 06 कालेजों के सम्बन्ध में प्राप्त प्रस्ताव में पायी गयी आपत्ति/कमियों को दूर करने हेतु सम्बन्धित कालेजों को पूर्व में ही अवगत कराया जा चुका है। आपत्ति निस्तारित होंने पर परीक्षणोपरान्त प्रकरण शासन को सन्दर्भित किया जायेगा ।
8–	पुनर्वास योजना के अन्तर्गत आवंटित साईट एवं सर्विसेज विजयनगर सैक्टर–11–12 के भूखण्डों के मूल्य निर्धारण के सम्बन्ध में।	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त प्रस्ताव अवलोकित किया गया ।	कार्यवाही वांछित नहीं है ।
9–	गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों/वाहन चालकों को दिये जाने वाली शीतकालीन वर्दी की दर में वृद्वि किये जाने के सम्बन्ध में।	प्रस्ताव वापिस लिया गया ।	कार्यवाही वांछित नहीं है ।